

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, मई 8—मई 14, 2016, शनिवार/वैशाख 18—वैशाख 24, 1938

No. 17] NEW DELHI, MAY 8—MAY 14, 2016, SATURDAY/VAISAKHA 18—VAISAKHA 24, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला, निजी सचिव, भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में-

- (i) स्तंभ (12) में, “(प्रोन्नति एवं पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) स्तंभ (13) में की, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
“संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है”

[फा. सं. 12018/08/2014-एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उप निदेशक (एन. टी. एच.)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 220 तारीख 17 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 29th April, 2016

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2015, namely:-

- Short title and commencement.**- (1). These rules may be called the National Test House, Private Secretary Recruitment Amendment Rules, 2016.
- (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the National Test House, Private Secretary Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, -

- (i) In column (12), for the brackets and words “(for considering promotion and confirmation)”, the brackets and words “(for considering promotion)” shall be substituted;
- (ii) In column (13), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.”

[F. No. 12018/08/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

Note: The principal rules published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 220 dated the 17th November, 2015.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2016

सा.का. नि. 66.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय बहुकार्य कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिल्ली नागरी कला आयोग, सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली नागरी कला आयोग, (सचिव) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:— वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
सचिव	एक	समूह 'क'	वेतन बैंड - 4 37400-67000 ₹ + ग्रेड वेतन 8700 ₹.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6
चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
9	10	11
लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति - प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक निर्माण या नगर योजना से संबंधित संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

		(ii) जिन्होंने वेतन बैंड 3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 7,600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड 3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6,600 रु0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं, अर्थात् :- आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्थापत्यकला या नगर योजना या समतुल्य में डिग्री ; वांछनीय : (क) स्थानीय निकायों/नगरों में नगर योजना/स्थापत्यकला में 15 वर्ष का अनुभव ; (ख) दिल्ली भवन उप विधियों का अच्छा ज्ञान ; (ग) नगर योजना के क्षेत्र में किया गया मूल कार्य । टिप्पण 1:- वेतन बैंड 3, 15,600-39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6,600 रु0 में सहायक सचिव (तकनीकी) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है, को बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार में लिया जाएगा और उसके चयनित होने की दशा में, उसे प्रोन्नति के रूप में भरा हुआ समझा जाएगा । टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) सचिव या अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय - अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, दिल्ली नगर कला आयोग - सदस्य, और (3) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-11013/2/2015-डीडीआईआई]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 6th May, 2016

G.S.R. 66.—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), and in supersession of the Delhi Urban Art Commission (Secretary) Recruitment Rules, 2012, except as respect things done or omitted to be done, before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary, Delhi Urban Art Commission, namely:-

1. Short title and commencement –

- (i) These rules may be called the Delhi Urban Art Commission (Secretary) Recruitment Rules, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Secretary	One	Group 'A'	Rs. 37,400 – 67,000: PB-4 plus grade pay Rs. 8700.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Composite method - deputation (including short term contract)/promotion.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or organisations dealing with public works or town planning - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600; or (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600; and (b) possessing the following educational qualifications, namely:- Essential: Degree in Architecture or Town Planning or equivalent from a recognised university; Desirable: (a) fifteen years' experience in Town Planning / Architecture in local bodies / townships;

			(b) good knowledge of Delhi's building bye-laws; (c) original work done in the field of Town Planning. Note 1. A departmental candidate in the feeder grade of Assistant Secretary (Technical) in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 with ten years' regular service in the grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion. Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed initially for four years. Note 3. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of the receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)			(13)
Selection Committee consisting of - (1) Secretary or Additional Secretary in the Ministry of Urban Development – Chairperson. (2) Chairman, Delhi Urban Art Commission – Member and (3) Vice-Chairman, Delhi Development Authority – Member.			Not applicable.

[F. No. A-11013/2/2015-DDII]

S.B. PRASAD, Under Secy.